Countries from which sugar Imported and Price Paid during 1980.

773. SHRI RAVINDRA VARMA:

SHRI NITYANANDA MISRA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the quantity of sugar that has been imported during 1980; and

(b) the countries from which this sugar was purchased and the price paid for the sugar?

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (b). A total quantity of 180,245 MTs of refined sugar has been imported by STC during the months July—September, 1980 through Brazilian load port under a contract concluded with M/s. EDF MANN (London) in April, 1980. The imported sugar was procured at the best available international prices prevailing at the time of contracting.

दाण्डेकर समिति का प्रतिवेदन

774. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु कराधान उपायों के बारे में दाण्डेकर समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी कौन सी सिफारिशें अब तक स्वीकार कर ली गयी है और कौन सी स्वीकार करने का विचार है तथा उनसे रोजगार के अवसर किस प्रकार बढ़ेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख). सरकार ने प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित दाण्डेकर समिति की सिफारिशों की जांच कर ली है और समिति कर-छूट सम्बन्धी सिफारिश स्वीकार करके उसे वित्त (सं० 2) विधेयक, 1980 के जरिए संशोधित रूप में लागू भी कर दिया है। प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित समिति की अन्य सिफारिशो को, सरकार फिलहाल स्वीकार्य नहीं समझती। बाकी सिफारिशों को, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जांच की जा रही है।

जहां तक रोजगार संबर्द्धन का प्रश्न है, तत्सम्बन्धी स्थिति इस प्रकार है। अब तक आयकर अधिनियम की धारा 80अ के अन्तर्गत, कर से छूट, भारत में नव-स्थापित औद्योगिक उपक्रमों (जिनमें कोल्ड स्टोरेज प्लाण्ट भी शामिल है) द्वारा अर्जित लाभो पर दी जाती रही है। यह रियायत किसी मंजूरशुदा होटल के कारोबार से अथवा समुद्री जहाज चलाने से किसी भारतीय कम्पनी को प्राप्त होने वाले लाभों के सम्बन्ध में भी दी जाती है। कर से छूट सम्बन्धी रियायत में उस पूजी के एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत अनपात तक आय-कर से छूट शामिल है, जो पूजी उपक्रम, होटल अथवा समुद्री जहाज मे विनिर्दिष्ट निर्धारण-वर्षो तक लगाई गयी हो। कर से छूट सम्बन्धी विद्यमान उपबन्ध, उस नये औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्ध मे लागू होते है, जो 1 अप्रैल, 1981 से पहले उत्पादन करना शुरू कर दे अथवा जो मंजूरशुदा होटल उक्त तारीख से पहले कार्य करना शुरू कर दे अथवा उन नये समुद्री जहाजों के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिन्हें उक्त तारीख को अथवा उससे पहले प्रयोग में लाया जाये। इस कर रियायत की इस आधार पर आलोचना की गई थी कि यह पूजी प्रधान तकनीकों के प्रति पक्षपातपूर्ण था। वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1980 द्वारा अन्तःस्थापित आयकर अधिनियम की धारा 80-झ के अन्तर्गत कर से छूट सम्बन्धी नयी योजना के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रम में इस पूंजी सम्बन्धी पूर्वग्रह को समाप्त कर दिया गया है और उस सीमा तक रोजगार में वृद्धि होने की आशा है।